

**अनुदान संख्या 43 – स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग**  
**GRANT No. 43 - DEPARTMENT OF HEALTH RESEARCH**

कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving -
------------------------------	--	---

(हजार रुपयों में)

(In thousands of rupees)

राजस्व: स्वीकृत- मूल	Revenue: Voted- Original	1500,00,00		3156,99,00	3145,28,37	-11,70,63
पूरक	Supplementary	1656,99,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					11,69,70

**टीका और टिप्पणियां****Notes and comments**

1. अनुदान में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ :-

1. In the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)

(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head					
मुख्य शीर्ष "2251"	Major Head "2251"					
सचिवालय – सामाजिक सेवाएं	Secretariat – Social Services					
मू.	O.	1200.00		1451.10	1453.06	+1.96
पु.	R.	251.10				
मुख्य शीर्ष "2210"	Major Head "2210"					
चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	Medical and Public Health					
मू.	O.	141300.00		313077.30	313075.31	-1.99
पू.	S.	165699.00				
पु.	R.	6078.30				

कुल अनुदान  
Total  
grant

वास्तविक व्यय  
Actual  
expenditure

बचत—  
Saving -  
(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"			
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas			
मू.	O.	7500.00	0.90	..
पु.	R.	-7499.10		-0.90

(I) ₹7500.00 लाख का प्रावधान छह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹7400.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" - "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - एलोपैथी" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) "भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली" - ₹6000.00 लाख;

(खा) "औषध और स्वास्थ्य अनुसंधान" - ₹200.00 लाख;

(गा) "चिकित्सा, जैव चिकित्सा और स्वास्थ्य अनुसंधान समन्वय" - ₹200.00 लाख;

(घा) "प्राकृतिक आपदाओं का प्रबंधन" - ₹600.00 लाख; और

(ड.) "स्वास्थ्य अनुसंधान संवर्धन, समन्वय और विकास" - ₹400.00 लाख;

प्रावधान उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹7500.00 lakhs remained wholly unutilised under six heads; of these ₹7400.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - "Medical Education, Training and Research - Allopathy" - under the following heads:-

(A) "Indian Council of Medical Research, New Delhi" - ₹6000.00 lakhs;

(B) "Research in Medicine and Health" - ₹200.00 lakhs;

(C) "Co-ordination in Medical, Biomedical and Health Research" - ₹200.00 lakhs;

(D) "Management of Natural Calamities" - ₹600.00 lakhs; and

(E) "Promotion, co-ordination and development of Health Research" - ₹400.00 lakhs.

Provisions under the above five heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष “2210” – “चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान – एलोपैथी – भोपाल स्मारक अस्पताल और अनुसंधान केंद्र, भोपाल” के अंतर्गत ₹6706.00 लाख की बचत (₹18800.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपभोग्य उपस्करों की अधिप्राप्ति और सिविल कार्य से संबंधित कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹69.84 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 70 प्रतिशत थी।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹11201.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष “2210” के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत दिसंबर, 2017 में ₹24339.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) “शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – एलोपैथी – अन्य व्यय – अनुसंधान शासन पर संवर्धन और मार्गदर्शन” – ₹82.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹81.04 लाख था।

(खा) “चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान – एलोपैथी” –

(क) “स्वास्थ्य अनुसंधान का संवर्धन, समन्वय और विकास” – ₹1300.00 लाख।

(ख) “भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली” – ₹8021.00 लाख।

(गा) “लोक स्वास्थ्य” – “रोगों की रोकथाम और नियंत्रण” –

(क) “महामारी के प्रकोप को रोकने के लिए उपकरणों का विकास” – ₹198.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹197.56 लाख था।

(ख) “प्राकृतिक आपदाओं का प्रबंधन” – ₹1600.00 लाख।

(II) Under Major Head “2210” - “Medical Education, Training and Research - Allopathy - Bhopal Memorial Hospital and Research Centre, Bhopal” - saving of ₹6706.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹18800.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards procurement of consumable equipments and civil works.

(III) Under one head saving of ₹69.84 lakhs occurred constituting 70 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (₹11201.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹24339.00 lakhs in December, 2017 under Major Head “2210” - under the following heads:-

(A) “Urban Health Services - Allopathy - Other Expenditure - Promotion and Guidance on Research Governance” - ₹82.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹81.04 lakhs.

(B) “Medical Education, Training and Research - Allopathy” -

(a) “Promotion, co-ordination and development of Health Research” - ₹1300.00 lakhs.

(b) “Indian Council of Medical Research, New Delhi” - ₹8021.00 lakhs.

(C) “Public Health - Prevention and Control of Diseases” -

(a) “Development of Tools to Prevent Outbreaks of Epidemics” - ₹198.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹197.56 lakhs.

(b) “Management of Natural Calamities” - ₹1600.00 lakhs.

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हो गई :-

(का) मुख्य शीर्ष “2251” – “सचिवालय – स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग” – ₹253.06 लाख का अधिक व्यय (₹1200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यालय के लिए स्थान किराए पर लेने और संविदात्मक कर्मचारियों के पारिश्रामिक के संबंध में अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष “2210” –

(क) “शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – एलोपैथी – अन्य व्यय – चिकित्सा, जैव चिकित्सा और स्वास्थ्य अनुसंधान समन्वय” – ₹1013.26 लाख का अधिक व्यय (₹1800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्वास्थ्य अनुसंधान परियोजनाओं के निधियन के संबंध में अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ख) “लोक स्वास्थ्य – प्रशिक्षण – औषध और स्वास्थ्य अनुसंधान” – ₹627.46 लाख का अधिक व्यय (₹1800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए प्रशिक्षण से संबंधित अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने और पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head “2251” - “Secretariat - Department of Health Research” - excess of ₹253.06 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1200.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards hiring of office space and remuneration for contractual staff.

(B) Major Head “2210” -

(a) “Urban Health Services - Allopathy - Other Expenditure - Co-ordination in Medical, Biomedical and Health Research” -excess of ₹1013.26 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1800.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards funding of projects on Health Research.

(b) “Public Health - Training - Research in Medicine and Health” - excess of ₹627.46 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1800.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards training for Health Research and re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.